न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः–290/2020

महेन्द्रसिह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
वादी

बनाम्

1.रामजी पुत्र शेराराम
2.रोशनी पत्नी रामजीलाल
3.ममता पुत्री रामजीलाल
} जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

4.सुमन पुत्री रामजीलाल पत्नी सतवीर जांगू
5.मंजूरानी पुत्री रामजीलाल पत्नी दलबीरसिह
} जाति जाट निवासीयान सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6.तहसीलदार राजस्व टिब्बी
प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादी

श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05.01.2021

वादी महेन्द्रसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 रामजी के नाम से चकनं0 654 आरडी के जमावन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 265/102 में कुल 3.172 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था।वादी के हक व हिस्सा को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी दी थी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।लेकिन वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां में वादी को प्राप्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी आराजी का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाकर चकनं0 654 आरडी के जमावन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 265/102 में से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी क अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का हम पक्षकारान के मध्य आपस पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का हम प्रतिवादीगण सं0 2 में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में हम प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था। घरू बटवारा मे प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी बटवारां मे दी थी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना अदि जमा करवाता चला आ रहा है इसलिए वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी के अनुसार वादी को बटवारां में प्राप्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जाकर चकनं0 654 आरडी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 265/102 में से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा साक्ष्य कें रुप में अपना स्वयं का शपथ पत्र, वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प तथा पैतृक सम्पति बाबत चक 654 आरडी के खाता सं0 42 की शेरा वगैरह के नाम की जमाबन्दी संवत 2033 ता 42 की प्रति पेश की गई व स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी जो वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिस बाबत वादी द्वारा अपने दादा के नाम की जमाबन्दी चक 654 आरडी के खातासं0 42 संवत 2033 ता 42 की पेश की है व वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार बटवारां में प्राप्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया है। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने राजीनामा में स्वीकार किया गया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र, वारिसनामा, स्टाम्प, पैतृक सम्पति बाबत वादी के दादा शेरा के नाम की चक 654 आरडी के खाता सं0 42 संवत 2033 ता 42 की जमाबन्दी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीसं0 1 रामजी के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी, शपथ पत्र वारिसनामा, स्टाम्प, पैतृक सम्पति जमाबन्दी संवत 2033 ता 42 खाता सं0 42 की व प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 654 आरडी के जमाबन्दी सवत 2075 ता 78 के खाता सं0 265/102 के प0न0 219/317 मु0 80 किलानं0 7,8,9,12,13,14, कुल 6 बीघा यानि 1.518 है0 नहरी कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की आराजी का खाता अलग से तकसीम कर रकम

राज अलग से कायम करने व चकनं0 654 आरडी के खातासं0 265/102 में से प्रतिवादी सं0 1 रामजी का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
आ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–290/2020

महेन्द्रसिह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादी

बनाम्

1.रामजी पुत्र शेराराम
2.रोशनी पत्नी रामजीलाल
3.ममता पुत्री रामजीलाल
} जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

4.सुमन पुत्री रामजीलाल पत्नी सतवीर जांगू
5.मंजूरानी पुत्री रामजीलाल पत्नी दलबीरसिह
} जाति जाट निवासीयान सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6.तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील महावीर प्रसाद वर्मा वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किचकनं0 654 आरडी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 265/102 के प0न0 219/317 मु0 80 किलानं0 7,8,9,12,13,14, कुल 6 बीघा यानि 1.518 है0 नहरी कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की आराजी का खाता अलग से तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चकनं0 654 आरडी के खातासं0 265/102 में से प्रतिवादी सं0 1 रामजी का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X.....निल.....X.....मुख्लिक...X..निल.....x....बाबत्.....x.....निल.....x...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x..अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी